कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश कमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/प्रधाना./स्था./2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्रीमती नवीता जैन, प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हयूशन मण्डी, जिला जोधपुर का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, ओलवी, जिला जोधपुर किया गया था जिसके विरूद्ध श्रीमति नवीता जैन द्वारा माननीय उच्च न्यायलय, जोधपुर में याचिका संख्या 14864/2019 श्रीमती नवीता जैन बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या 14864/2019 में माननीय उच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.10.2019 द्वारा याचिकार्थी नवीता जैन को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व निर्णीत प्रकरण एस.बी. सिविल याचिका संख्या 1430/1999 पुष्पा मेहता बनाम राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 16.12.1999 एवं राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में 30 दिवस के भीतर एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित कर निस्तारित करने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए। याचिकार्थी के अभ्यावेदन निस्तारण तक आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.09.2019 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन माननीय न्यायालय द्वारा याचिकार्थी के सम्बन्ध में स्थगित रखा गया।

माननीय उच्च न्यायलय के निर्णय के क्रम में याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में उनके अगस्त 2020 में सेवानिवृत होने एवं उनकी विकट पारिवारिक परेशानियों के मद्देनजर उनका स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.09.2019 को निरस्त कर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हयूशन मण्डी, जिला जोधपुर में ही यथावत पदस्थापित रखे जाने की मांग की गई।

याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में गहनता से अवलोकन व मनन किया गया व उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरांगना से प्राप्त प्रकरणों को ही स्थानान्तरण के आवेदनों में प्राथमिकता प्रदान किये जाने के निर्देश प्राप्त थे। याचिकार्थी के प्रकरण में ऐसा कोई भी परिस्थितिजन्य साक्ष्य प्रकट नहीं होता जिससे उनके अभ्यावेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जावे। श्रीमति जैन को जोधपुर जिले में ही स्थानान्तरित किया गया था जिससे इन्हें पेंशन परिलाभ प्राप्त करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। इस प्रकार गृह जिले में ही पदस्थापित रहते हुए भी इच्छित स्थान पर पदस्थापित किये जाने की उनकी मांग उचित नहीं है। याचिकार्थी राज्य सेवा की अधिकारी हैं और उन्हें राज्य एवं छात्र हित में राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ए.आई.आर 1993 एस.सी. 2486 पंजाब राज्य बनाम जोगेन्द्र सिंह दत्त प्रकरण में यह प्रतिपादित किया गया है कि यह नियोजक का परमाधिकार है कि वह किस कार्मिक को कब और कहां पदस्थापित करे।**

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए याचिकार्थी श्रीमती नवीता जैन, प्रधानाचार्य का अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे विभागीय आदेश दिनांक 29.09.2019 की अनुपालना में तत्काल अपने स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा उनके विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाऐं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-17 के अन्तर्गत कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। सम्बन्धित सूचित हों।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः-शिविरा-मा./संस्था/बी-2/नवीता जैन/याचिका/14864/2019 दिनांक 18.11.19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मन्त्री, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्था जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जोधपुर संभाग, जोधपुर।
4. **मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे श्रीमति नवीता जैन व स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में उनके विरूद्ध सी.सी.ए-17 अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव इस कार्यालय के विभागीय जांच अनुभाग को तीन दिवस व भीतर भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।**
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, जोधपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा, जोधपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. सम्बन्धित अपीलार्थी को आदेश की पालनार्थ।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)